F– 07–08
F– 07–11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:167 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 167
विषय / Sub: बोंडिंग ब्रेड्स (पी1 एंड पी8 सीरीज़)
Bonding Braids (P1 and P8 Series)

यह घोषित किया जाता है कि चीता हेलिकॉप्टर हेतु **मेसर्स मेटल क्लोथ प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**, फ्लाट सं. 5/7, हुसैनाबाद, सं.5, लैंगफोर्ड रोड, लैंगफोर्ड टाउन, बेंगलूरु – 560 025, द्वारा विकसित तथा उत्पादित **" बोंडिंग ब्रेड्स (पी1 एंड पी8 सीरीज़)"** को संदर्भ सं.:एरो(आरडी-125)/114/7, दिनांक 15 जनवरी 1976, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. : 167 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए–167/12 आर, दिनांक 05 मार्च 2014 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

*This is to state that the **"Bonding Braids (P1 and P8 Series)"**, for Chetak Helicopter developed and manufactured by **M/s Metal Cloth Products Private Limited**, Flat No. 5/7, Hussainbad, No. 5, Langford Road, Langford Town, Bengaluru – 560 025 was issued with Type Approval No.: 167 videReference No.: AERO (RD –125) / 114 / 7, dated: 15th January 1976. Subsequently it was renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA – 167/12R, dated: 05th March 2014 with its validity up to 31st December 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2019** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसंबर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर)**, डीआरडीओ,सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st January 2019** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2023** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Helicopter)**, DRDO, CEMILAC, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: एरो (आरडी-125) / 114 / 7, दिनांक 15 जनवरी 1976 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (05) पांच में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para (05) five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO (RD –125) / 114 / 7, dated: 15th January 1976 is **amended** as stated herewith.*

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी।यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकताहै।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification ***(CEMILAC),*** *Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initialtype approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA–167/3R
दिनांक / Date: 18 December 2018
फैक्स सं. / Fax No: 080 – 2523 0856

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)